प्रपत्र सं. 15 जी

[देखें धारा 197ए(1), 197ए(1ए) और नियम 29सी]

कर की कटौती के बिना कुछ आयों का दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा धारा 197ए (1) और धारा 197ए(1ए) के अंतर्गत की जाने वाली घोषणा.

भाग I

1. कर–निर्धारिती (घोषणाकर्ता) का नाम			2. कर–निर्धारिती का पैन[1]
3. स्थिति[2]	4. पिछले वर्ष (पि.व.)[3] (जिसके लिए घोषणा की जा रही है)		5. आवासीय स्थिति[4]
6. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.	7. परिसर का नाम	8. सड़क/गली/लेन	9. क्षेत्र/इलाका
10. कस्बा/शहर/जिला	11. राज्य	12. पिन	13. ईमेल
14. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.	15. (ए) क्या आयकर अधिनियम, 1961[5] के अंतर्गत कर निर्धारित किया गया है	हाँ ☐ नहीं ☐	(बी) यदि हाँ, तो नवीनतम कर निर्धारण वर्ष जिसके लिए करनिर्धारित किया गया है
16. अनुमानित आय जिसके लिए यह घोषणा की गई है		17. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें स्तंभ 16 में उल्लेख की गई आय को शामिल किया जाना है	
18. पिछले वर्ष के लिए दाखिल गए इस प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र सं. 15जी का विवरण, यदि कोई हो[7]			
दाखिल किए गए प्रपत्र सं. 15जी की कुल संख्या		आय की कुल राशि जिसके लिए प्रपत्र सं. 15जी दाखिल किया गया है	

19. आय का विवरण जिसके लिए घोषणा दाखिल की गई है

क्र.सं.	प्रासंगिक निवेश/खाता आदि की पहचान संख्या[8]	आय की प्रकृति	धारा जिसके अंतर्गत कर कटौती योग्य है	आय की राशि

____

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर[9]

घोषणा/सत्यापन[10]

*मैं/हम ____________________ एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सही, पूर्ण और सचमुच में कहा गया है. *मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि इस प्रपत्र में उल्लेख की गई आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं है. *मैं/हम पुन: घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि कर निर्धारण वर्ष ____________________ के लिए प्रासंगिक ____________________ को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई स्तम्भ 16 में संदर्भित *मेरी/हमारी आय/आयों सहित कुल अनुमानित राशि और स्तम्भ 18 में संदर्भित *आय/आयों की कुल राशि पर कर शून्य होगा. मैं/हम यह भी घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि कर निर्धारण वर्ष ____________________ के लिए प्रासंगिक ____________________ को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए स्तम्भ 16 में संदर्भित मेरी/हमारी आय/आयों की कुल राशि और स्तम्भ 18 में संदर्भित आय/आयों की कुल राशि ____________________ अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है.

स्थान: ____________________

दिनांक: ____________________

____

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग II

[भाग I के स्तम्भ 16 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भरा जाना है]

1. भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम				2. विशिष्ट पहचान संख्या[11]
3. भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पैन	4. पूरा पता			
5. भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का टैन				
6. ईमेल		7. टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नंबर		8. भुगतान की गई आय की राशि[12]
9. घोषणा प्राप्ति की तिथि (दिन/माह/वर्ष)		10. वह तिथि जिस पर आय का भुगतान किया गया/जमा की गई (दिन/माह/वर्ष)		

स्थान: ____________________________

दिनांक:____________________________

____

भाग I के स्तम्भ 16 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो, उसे हटा दें.

1. जर 1 धारा 206एए(2) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 197ए(1) या 197ए(1ए) के अंतर्गत घोषणा अमान्य होगी यदि घोषणाकर्ता अपना वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) नहीं प्रस्तुत कर पाता है.

2 घोषणा व्यक्ति द्वारा धारा 197ए(1) के अंतर्गत और व्यक्ति (कंपनी या फर्म से भिन्न) द्वारा धारा 197ए(1ए) के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकती है.

3 वह वित्तीय वर्ष जिससे आय संबंधित है.

4 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार आवासीय स्थिति का उल्लेख करें.

5 जिस वर्ष घोषणा दाखिल की गई है, यदि उसके पूर्ववर्ती छह कर निर्धारण वर्षों में से किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत कर का निर्धारण किया गया है तो ''हाँ'' का उल्लेख करें.

6 पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय की राशि का उल्लेख करें जिसके लिए आय की राशि सहित घोषणा दाखिल की गई है जिसके लिए यह घोषणा की गई है.

7 यदि पिछले वर्ष के दौरान यह घोषणा दाखिल करने से पहले प्रपत्र संख्या 15जी में किसी/किन्हीं घोषणा/ओं को दाखिल किया गया है, तो इस प्रकार के प्रपत्र सं. 15जी की कुल संख्या का आय की कुल राशि के साथ उल्लेख करें, जिसके लिए उक्त घोषणा दाखिल की गई है.

8 अंशों की विशिष्ट संख्या, सावधि जमा खाता संख्या, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजनाओं, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड, आदि का उल्लेख करें.

9 जिस क्षमता से एचयूएफ, एओपी, आदि की ओर से घोषणा प्रस्तुत की गई है, वह इंगित करें.

10 घोषणा/सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को अपने आपको संतुष्ट कर लेना चाहिए कि इस प्रपत्र में दी गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य, सही और पूर्ण है. घोषणा में गलत बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा और दोषसिद्धि पर दण्डनीय होगा –

   (i) ऐसे मामले में जहाँ कर चोरी पच्चीस लाख रुपए से अधिक होगी, अर्थदंड के साथ कठोर कारावास से जो छह महीने से कम नहीं होगा लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है;

   (ii) किसी अन्य मामले में अर्थदंड के साथ कठोर कारावास से जो तीन महीने से कम नहीं होगा लेकिन जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है;

11 भाग I के स्तम्भ 16 में निर्दिष्ट आय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के दौरान प्राप्त किए गए सभी प्रपत्र सं. 15जी के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी और उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत किए गए टीडीएस विवरण में आयकर नियम, 1962 के नियम 31ए(4)(vii) में निर्धारित विवरणों के साथ यह संदर्भ संख्या सूचित की जाएगी. यदि व्यक्ति को उसी तिमाही के दौरान प्रपत्र सं. 15एच भी मिला है, तो प्रपत्र सं. 15जी और प्रपत्र सं. 15एच के लिए क्रमांक की अलग-अलग श्रृंखला आवंटित की जानी चाहिए.

12 भाग II के स्तम्भ 16 में निर्दिष्ट आय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी जहाँ धारा 197ए की उपधारा (1) या उपधारा (1ए) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की राशि या इस प्रकार की आय की कुल राशि पिछले वर्ष के दौरान जमा या भुगतान की गई थी या जमा या भुगतान किए जाने की संभावना थी जिसमें शामिल की जाने वाली इस प्रकार की आय अधिकतम राशि से अधिक हो जाती जो कर के लिए प्रभार्य नहीं होती. पात्रता तय करने के लिए, उसको स्तम्भ 16 और 18 में घोषणाकर्ता द्वारा सूचित की गई आय या आय की कुल राशि, जैसा भी मामला हो, को सत्यापित करना होगा;